झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषयः—झारखण्ड राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में लोक निजी भागीदारी के आधार पर बस पड़ावों को विकसित किए जाने के संबंध में।

7693
14/12/17

नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा मंत्रिपरिषद्, झारखण्ड से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत संकल्प ज्ञापांक—5049 दिनांक—07.08.2017 के द्वारा झारखण्ड राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में लोक निजी भागीदारी के आधार पर बस पड़ावों को विकसित किए जाने से संबंधित निर्णय संसूचित किया गया है।

2. संकल्प की कंडिका—8 में प्रसंगाधीन निकायों के बस पड़ावों को लोक निजी भागीदारी के आधार पर विकसित किए जाने हेतु संबंधित निकाय के बस पड़ाव के लिए कर्णांकित भू—खण्ड का क्षेत्रफल दर्शाया गया है।

3. इस संबंध में धनबाद नगर निगम के द्वारा यह सूचना दी गई कि उक्त नगर निगम हेतु कर्णांकित भू—खण्ड का रकबा 7.000 एकड़ अंकित है जबकि बस पड़ाव हेतु 18.500 एकड़ भूमि उपलब्ध है।

4. उक्त सूचना के आलोक में अन्य निकायों से एतद् संबंधी प्राप्त सूचनाओं की पुर्नसमीक्षा की गई।

5. पुर्नसमीक्षा के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि कतिपय बस पड़ावों के विकास हेतु कर्णांकित भूमि से संबंधित आँकड़ों के संग्रहण में हुई त्रुटि एवं टंकण भूल के कारण निकायों के लिए कर्णांकित भू—खण्ड का रकबा गलत अंकित हो गया है, जिसमें संशोधन की आवश्यकता है।

6. उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन संकल्प की कंडिका—8 को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है :—

क्र0सं0	जिला (नाम)	शहरी स्थानीय निकाय (नाम)	भू—खण्ड का पूर्व में अंकित रकबा (एकड़)	भू—खण्ड का संशोधित रकबा (एकड़)
1.	गुमला	गुमला नगर परिषद	3.480	4.100
2.	पलामू	मेदिनीनगर नगर परिषद	3.200	2.350
3.	गिरिडीह	गिरिडीह नगर परिषद	4.295	4.295
4.	कोडरमा	झुमरी तिलैया नगर परिषद	3.300	3.300
5.	धनबाद	धनबाद नगर निगम	7.000	18.420
6.	दुमका	दुमका नगर परिषद	2.430	3.000
7.	गोड्डा	गोड्डा नगर परिषद	1.640	1.1608
8.	सिमडेगा	सिमडेगा नगर परिषद	2.220	2.880
9.	हजारीबाग	हजारीबाग नगर निगम	3.160	3.840
10.	राँची	राँची नगर निगम	3.900	4.220
11.	चाईबासा	चाईबासा नगर परिषद	2.140	2.016
12.	जमशेदपुर	जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (बारा / बारीडीह)	1.690	16.520
13.	जमशेदपुर	मानगो नगर निगम	3.610	0.960
14.	बोकारो	फुसरो नगर परिषद	1.440	1.380
15.	देवघर	देवघर नगर निगम	1.280	1.440

D-Rahul_rk_sankalp 110

7. संकल्प के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे ।

8. इस संकल्प पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग को इसकी दो सौ प्रतियाँ उपलब्ध करायी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

14.12.17

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— 01/विविध—74/2017 न0वि0आ0 7693 **राँची,दि0—** 14/12/17

प्रतिलिपि :—महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई—गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.12.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— 01/विविध—74/2017 न0वि0आ0 7693 **राँची,दि0—** 14/12/17

प्रतिलिपिः— मुख्य सचिव, झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, झारखण्ड/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन/उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची/प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद/प्रबंध निदेशक, जुडको लिमिटेड/नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, सभी शहरी स्थानीय निकाय, झारखण्ड/नगर विकास एवं आवास विभाग के सभी पदाधिकारी/कर्मचारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.12.17

सरकार के प्रधान सचिव।